

मुख्य आदेश सं० 200/1997

मुख्य आदेश सं०-193/97 को निम्नलिखित संशोधित किया जाता है :

1. एम एम आर (टी०), आरबी एवं आरबी महानिरीक्षक (उप-महानिरीक्षक) के अधीनस्थ कार्यरत रहेगा और जिले भी विन्दु पर हमारा आदेश आरबी महानिरीक्षक (कार्मिक) के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा । महापक आरबी महानिरीक्षक (कार्मिक) ही हमारे सीधे निवेदन में रहेंगे ।
2. आरबी निरीक्षक, प्रोक्टर, जज और एवं पार्लेन्ट का कार्मिक मामला आरबी उप-महानिरीक्षक (कार्मिक) द्वारा केबरेल में होगा ।
3. अवर निरीक्षक एवं उप-महानिरीक्षक (कार्मिक) के कार्मिक मामला का केबरेल आरबी उप-महानिरीक्षक (उप-महानिरीक्षक) द्वारा किया जायेगा ।
4. अवर निरीक्षक एवं आरबी के सीधे के महाधिकातरों का कार्मिक मामला आरबी महानिरीक्षक के महापक (उप-महानिरीक्षक) द्वारा किया जायेगा ।
5. आरबी का कार्मिक मामला महापक आरबी महानिरीक्षक (कार्मिक) द्वारा सम्भलन किया जायेगा ।

13/09/97

महानिरीक्षक एवं आरबी महानिरीक्षक, बिहार ।

जायक

महानिरीक्षक एवं आरबी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार,टना ।
टना, दिनांक 12 अक्टूबर, 1997 ।

- प्रतिलिपि:-
1. एमओ आरबी अधीक्षक, रेलवे सहित/एनी महादेवटा ।
 2. एमओ आरबी उप-महानिरीक्षक (रेलवे/मेन्स पुलिस सहित) ।
 3. एमओ प्रोसीयूर आरबी महानिरीक्षक ।
 4. एमओ आरबी महानिरीक्षक ।
 5. महानिरीक्षक, सिविल सहाय/महानिरीक्षक, अड्डा अनु० विभाग/महानिरीक्षक, कानून, विधि एवं आरबी महानिरीक्षक, अभिलेखन/एन० सि०, रेलवे/महानिरीक्षक, सी० ए० आरबी महानिरीक्षक, अड्डा अनु० विभाग, पुलिस, भाग विभागा विभाग/महानिरीक्षक, मेन्स पुलिस, बिहार ।
 6. एमओ आरबी महानिरीक्षक के महापक ।
 7. प्रो० जज, बिहार सरकार,टना को सूचनाार्थ एवं आकरकक कार्मिकार्थ देत प्रेषित ।

महानिरीक्षक एवं आरबी महानिरीक्षक, बिहार,टना ।

प्रतिलिपि:-मेन्स विभाग/एनी महानिरीक्षक, अड्डा अनु० विभाग, अभिलेखन/एन० सि०, रेलवे/महानिरीक्षक, सी० ए० आरबी महानिरीक्षक, अड्डा अनु० विभाग, पुलिस, भाग विभागा विभाग/महानिरीक्षक, मेन्स पुलिस, बिहार ।